भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 78
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन अवसंरचना का विकास

***78. श्री खगेन मुर्मुः**
श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कितने विमानपत्तन, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डे कार्यशील हैं और उनके विकास की स्थिति क्या है;
(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान कितने मार्ग संचालित हैं और उनमें कितने यात्रियों ने यात्रा की है;
(ग) सरकार द्वारा आम आदमी के लिए विमान यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) सरकार द्वारा देश भर में विमानपत्तन की अवसंरचना के वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु राज्यवार क्या पहल की गई हैं; और
(ङ) क्या सरकार का अगले पाँच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी, मटकुली पर्यटन स्थलों पर नए विमानपत्तन विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“विमानन अवसंरचना का विकास" के संबंध में श्री खगेन मुर्मु तथा श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं.78 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): वर्तमान में, देश में हेलीपोर्टों और वॉटर एयरोड्रोमों सहित 162 हवाईअड्डे प्रचालनरत हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय हवाईअड्डों पर कुल 412 मिलियन यात्री यातायात दर्ज किया गया, जिसमें 77 मिलियन अंतरराष्ट्रीय और 335 मिलियन घरेलू यात्री शामिल हैं, जो वर्ष-दर-वर्ष 9% की वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, अनुसूचित भारतीय प्रचालकों ने 835 घरेलू और 251 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर परिचालन किया।

(ग): वर्ष 2016 में, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने, जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को और अधिक किफायती बनाने तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) शुरू की थी। यह योजना किफ़ायती हवाई किराया सुनिश्चित करती है क्योंकि जिन सीटों पर व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान किया जाता है, उनका हवाई किराया सरकार द्वारा किफायती दरों पर निर्धारित किया जाता है। इस योजना के शुरू होने के बाद से, 15 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 637 आरसीएस मार्गों का प्रचालन शुरू किया गया है।

(घ): मौजूदा हवाईअड्डों पर अवसंरचना सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) या संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों/ विकासकर्ताओं द्वारा की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो यातायात की माँग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता, विमान सुरक्षा हेतु परिचालन अपेक्षाओं और एयरलाइनों की माँग पर निर्भर करती है। देश में विमानन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, एएआई ने अपने पीपीपी भागीदारों के साथ मिलकर वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 96,000 करोड़ रुपए से अधिक का समेकित पूंजीगत व्यय किया है।

(ङ): भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास हेतु ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उसे उपयुक्त स्थल चिह्नित करना होगा और हवाईअड्डे के निर्माण हेतु व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करवाना होगा तथा केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
भारत सरकार को ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 के अंतर्गत महाराष्ट्र के पालघर या मध्य प्रदेश के पचमढ़ी या मटकुली में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण हेतु संबंधित राज्य सरकार या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता से अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****